



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012026-269137
CG-DL-E-06012026-269137

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947

No. 78]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2026

का.आ. 88(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 2023 का 36) के तहत गठित प्राधिकरण "संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिल्ली को छोड़कर) (पैन: AAAJJ0668D) (जिसे आगे "निर्धारिती" कहा गया है) को अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 [संख्या 2023 का 36] के तहत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 02 /2026/फा. सं. 300195/7/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2026

S.O. 88(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies “Joint Electricity Regulatory Commission (for The State of Goa and Union Territories except Delhi) (PAN: AAAJJ0668D), (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003] with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 02 /2026/F. No. 300195/7/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (with effect from the year of application made before the Board/Department) to this notification.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012026-269136
CG-DL-E-06012026-269136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947

No. 77]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2026

का.आ. 87(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण”, (पैन: AAAAM4651Q) (इसमें इसके पश्चात् “निर्धारिती” कहा गया है), जोकि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 1973 का 11) के तहत गठित प्राधिकरण है और उत्तराखंड शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत यथा विनियमित है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती उत्तराखंड शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत यथा विनियमित हो, तथा आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ए) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजन के साथ उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 1973 का 11) के तहत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 03 /2026/फा. सं. 300195/14/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2026

S.O. 87(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies “Mussoorie Dehradun Development Authority”, (PAN: AAAAM4651Q) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning Development Act, 1973 (President’s Act 11 of 1973) and as regulated under the Uttarakhand Urban and Country Planning Development (Amendment) Act, 2013, for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning Development Act, 1973 (President’s Act 11 of 1973) and as regulated under the Uttarakhand Urban and Country Planning Development (Amendment) Act, 2013 with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 03 /2026 F. No. 300195/14/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (with effect from the year of application made before the Board/Department) to this notification.